संख्या-9/2015/374/सैंतीस-2-2015-1(1)/2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 मार्च, 2015

विषयः- **पशु रोग नियँत्रण योजना (75 प्रति0के0पो0)-एस.सी.एस.पी. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-529/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड(एस.सी.एस.पी.)/2014-15, दिनांक-18.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्न मानक मदों में प्राविधानित रू0 550.00 लाख के सापेक्ष रू0-460.7410 लाख (रूपये चार करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार एक सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृति धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्ग उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्राप्त केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा :-

मानक मद	**धनराशि हजार रूपये में**
04-यात्रा व्यय	2600.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1000.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2000.00
18-प्रकाशन	2.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1000.00
29-अनुरक्षण	20.00
39-औषधि तथा रसायन	1000.00
42-अन्य व्यय	10.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	38175.10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	140.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	125.00
योग-	**46074.10**

(रूपये चार करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार एक सौ मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यात्रा व्यय के लिए आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे वाहन/यात्रा भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

5- विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हों तो, संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

7- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के तहत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

8- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-पशु रोग नियंत्रण योजना (75 प्रति.के.पो.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10- इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान-800-अन्य अनुदान-15-पशुधन के नामे क्रेडिट की जाएगी।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-9/2015/374(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मँत्रालय, पशुधन एवं दुग्ध विभाग,नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in